

कार्यालय ग्राम पंचायत- खुदाबक्सपुर  
 विकास खण्ड जखनिया  
 जनपद- गाजीपुर  
 पत्रांक

दिनांक 22/05/23

**विषय:-** जल जीवन मिशन (हर घर जल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

सन्तान

अवगत करता हूँ कि दिनांक 22/05/23 का प्रातः 10:00 बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की सम्पत्कता हेतु खुली बैठक की गयी। बैठक में ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लखपाल, प्राथमिक/जुहाईस्कूल का प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षामित्र, अग्निवाही कार्यकर्ता/सहायिका, कोटदार ए0एम0एम0 एवं भाषा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त बैठक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर चार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग 10 प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परिवार के मुखिया द्वारा ही गयी सहमति पत्र संलग्न है।

जल जीवन मिशन की दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के क्रियान्वयन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमत है।

अनुरोध है कि कृपया यथाशीघ्र ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण कराने हेतु आवश्यक कार्रवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: परिवारों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र।

ग्राम पंचायत सचिव  
 ग्राम पंचायत  
 नि0ख0-जखनिया गाजीपुर

M.P. Singh  
 (Director)  
 Sushma Foundation  
 Varanasi(U.P)

भवदीय  
 प्रमुख-खुदाबक्सपुर  
 ग्राम पंचायत-जखनिया  
 गाजीपुर

ग्राम प्रधान



# ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.इ.एन्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी हैं और वी.इ.एन्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी हैं। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है।)

1. तैयारी की तारीख: 22/05/23  
 ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: 11/07/23  
 वी.इ.एन्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख: \_\_\_\_\_

2. ग्राम का नाम: खुदाबखरपुर  
 ग्राम पंचायत का नाम: खुदाबखरपुर  
 ब्लॉक का नाम: खरवानीया  
 जिला का नाम: बानीपुर  
 राज्य का नाम: उ.प्र.  
 ग्राम जनगणना कोड: \_\_\_\_\_

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

1. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : ..... (संख्या) मवेशी कुड़े को और ..... (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् ..... घण्टे निर्धारित गुणवत्ता • वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष 2024 तक ..... ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एक.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंत:ग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने भीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूंजी लागत का 10% प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

• पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पर पी.एच.ई.डी./ आर.इ.एन्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

11. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.इ.एन्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी? (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति):

समिति को क्या कहा जाता है: पंचायत स्वच्छता समिति  
 अध्यक्ष का नाम: श्री.ए.के. सिंह  
 लिंग: महिला  
 आयु: \_\_\_\_\_

ग्राम पंचायत अधिकारी  
ग्राम पंचायत  
खुदाबखरपुर

प्रधान: श्री.ए.के. सिंह  
ग्राम पंचायत-खुदाबखरपुर  
क्षेत्र पंचायत-खरवानीया  
जनपद-बानीपुर

संयोजक	निर्देशक	अध्यक्ष
_____	_____	_____

M.P. Singh  
(Director)  
Sushma Foundation  
Varanasi (U.P.)

III. सामान्य विवरण

2011 की जनगणना के अनुसार	वर्तमान संवत्सरात्मक जनसंख्या रिकॉर्ड के अनुसार		
जनसंख्या	2226	वर्तमान संवत्सरात्मक जनसंख्या	2714
परिवारों की संख्या	994	वर्तमान संवत्सरात्मक परिवारों की संख्या	359
महिलाओं की संख्या	822	महिलाओं की संख्या	1012
पुरुषों की संख्या	962	पुरुषों की संख्या	1100
बच्चों की संख्या	434	बच्चों की संख्या	602
प्राथमिक विद्यालयों की संख्या		प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): 121.2 किलोमीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण - वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): 83 किलोमीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): 800

9. कृषि फसल पैटर्न

प्रमुख फसल	वर्गीकृत	रबी
धान		<input checked="" type="checkbox"/>
ज्वार		<input type="checkbox"/>
मक्का		<input type="checkbox"/>
गन्ना		<input type="checkbox"/>
अन्य		<input type="checkbox"/>

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): 165 से 170 mm

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): समतल

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं) हाँ  
('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)

13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं) हाँ  
('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)

क्र.सं.	सामाजिक समस्या का नाम	क्या यह एक प्रमुख समस्या है? (हाँ/नहीं)	क्या इसे एक प्रमुख समस्या के रूप में मान्यता दी गई है? (हाँ/नहीं)	सीझा गैटव का उपलब्धता? (हाँ/नहीं)
1.	अग्निबाड़ी	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.	आगनवाड़ी			
3.	सामाजिक केंद्र			
4.	ग्राम पंचायत भवन	<input checked="" type="checkbox"/>		



पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 50.66 के.एल.डी.  
 गर्वेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 44 के.एल.डी.  
 गर्वेशी कुंडों की आवश्यक संख्या: 4  
 माध्यवर्ती धरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 63.12 के.एल.डी.  
 अंतिम धरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 31.9 के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/घड़वात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति:  
 17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टैंकियाँ, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति: नहीं  
 18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कुर्याँ, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त: नहीं  
 19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: मलेरिया, टायफाइड, चंभे रोग, बुखार

पानी की गुणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तरीके: \_\_\_\_\_  
 21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तरीके: \_\_\_\_\_  
 22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): \_\_\_\_\_

मापदंड	तरीका	परिणाम
गंदगी	दृश्य तुलना	
घाँस	दृश्य तुलना	
पानी की उपलब्धता	मिटरोमेट्रिक गणि	
पानी की सारियता	मिटरोमेट्रिक गणि	
खुलाप	मिटरोमेट्रिक गणि	
अम्लीयता	दृश्य तुलना	
कठोरता	दृश्य तुलना	
अवशिष्ट क्लोरीन	दृश्य तुलना	
अम्लरस	दृश्य तुलना	
नाइट्रेट	दृश्य तुलना	
प्लंब	दृश्य तुलना	
सांकेतिक (हॉटस्पॉट में)	दृश्य तुलना	

कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: \_\_\_\_\_

अभिनिर्धारित का नाम	पानी की संख्या	आबादी
	359	2714

स्रोत स्थायित्व

24. मू-जल स्रोत के मामले में, क्या बीरवेत रिजर्व संरचना है? (हाँ/नहीं)

25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कार्याकल्प/संरक्षण कार्य किया जाना आवश्यक है:

तालाब की मरम्मत

गंदले जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 61.86 के.एच.डी.

अलग-अलग सौख्या गड़दों वाले परिवारों की संख्या: 9

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सौख्या गड़दों की आवश्यकता है: 6

आवश्यक सामुदायिक सौख्या गड़दों की संख्या: 8

क्या अपशिष्ट तलछट जमाव की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं): हाँ

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: 912/1 111

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के नए से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए? \_\_\_\_\_

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एक एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त मू-जल/सिंचन वाटर/स्थानीय या धरातली जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले विन्तु पर्याप्त मू-जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.
- वाटर सिंड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: \_\_\_\_\_ तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के

आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: \_\_\_\_\_

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: \_\_\_\_\_

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: \_\_\_\_\_

योजना की लागत: \_\_\_\_\_ भारत सरकार का हिस्सा: \_\_\_\_\_ राज्य का हिस्सा: \_\_\_\_\_

समुदाय का हिस्सा: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ वार्षिक प्रदातन व रख-रखाव शुल्क: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/

प्रयोक्ता शुल्क: \_\_\_\_\_ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित

पी.डब्ल्यू.एस.: \_\_\_\_\_

VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

योजना का नाम	उत्पन्न/स्रोत संरचना, वनस्पति आदि	संभावित गतिविधियाँ/निधि संभवता	प्रस्तावित निधि
संवर्धन/शोधन	पी.डब्ल्यू.एस. विभाग जल शोधन/संरक्षण	वाटर सिंड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति (व्यक्तिगत/सामुदायिक) अपरिच्छिन्न जल/तालाब आदि।	
संवर्धन/शोधन	पी.डब्ल्यू.एस. विभाग जल शोधन/संरक्षण	वाटर सिंड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति (व्यक्तिगत/सामुदायिक) अपरिच्छिन्न जल/तालाब आदि।	



योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एस./ कृत्रिम पुनर्गठन, जल निकासी का निर्माण/ वृद्धि आदि।	
जल भंडारों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और नगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूक्ष्म-सिंचाई का प्रावधान, एकत्रीकरण से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूर्क वनीकरण कौशल प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वनीकरण, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, वाटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	
आवांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला योजित विकास निधि (डी.एम.ए.फ)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एल.ए.डी.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंतःग्राम अवसंरचना	
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना	
दानदाता/प्रायोजक			

प्रश्नों का उत्तर सही-सही ढंग से लिखें।

प्रश्न सं. (1) का उत्तर एक विचार के अतिरिक्त का उत्तर भी लिखिए। \_\_\_\_\_

प्रश्न सं. (2) अतिरिक्त का उत्तर भी लिखिए (यदि उत्तर हो) \_\_\_\_\_

**प्रश्न विवरण**

एक संख्या अथवा एक ही संख्या के अतिरिक्त उत्तर ही उत्तर का ही सही अतिरिक्त/अन्य उत्तर यदि का उत्तर

एक ही उत्तर का उत्तर भी होना चाहिए

असली उत्तर/विचार का उत्तर भी होना चाहिए

यदि ही उत्तर/विचार ही असली उत्तर/विचार यदि है कि उत्तर ही उत्तर/विचारों के उत्तर भी होना चाहिए

1. प्राचीन भारत
2. ऐतिहासिक
3. अर्थशास्त्र
4. प्रकीर्ण
5. सैन्य

एक उत्तर का उत्तर भी होना चाहिए।

सही-सही ढंग से लिखें।

M.P. B Singh  
(Director)  
Sushma Foundation  
Varanasi(U.P)

*(Handwritten signature)*